अमर उजाला नकली लेबल लगाकर शराब बेचने के आरोप में निवर्तमान पार्षद सहित चार गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 02 Aug 2021 03:06 AM IST

दो महीने पहले नकली लेबल लगाकर शराब बेचने के मामले में पुलिस ने पिहोवा के एक निवर्तमान पार्षद सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए पुलिस ने आरोपी निवर्तमान पार्षद पलविंद्र सिंह उर्फ पम्मा, कुलविंद्र सिंह, चरण सिंह व सोनू वासी पिहोवा को रिमांड पर लिया है।

डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि 28 जून को पिकाडली एग्रो इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने थाना सदर पिहोवा को दी शिकायत में बताया कि उनकी शराब कंपनी का एक ब्रांड मस्ती माल्टा है। इसका डुप्लीकेट मार्का लगाकर एल-14 पिहोवा पर नकली शराब बेची जा रही है। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच सीआईए-2 को सौंपी गई थी। जांच करते हुए सीआईए-2 ने आरोपी सुनील उर्फ सिल्लु, अमरीश उर्फ आशु, रमेश कुमार उर्फ मेसी वासी वकील कॉलोनी चीका (कैथल) को गिरफ्तार किया था। मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना पर आरोपी दीपचंद उर्फ दीपा वासी शाहाबाद व जसबीर उर्फ जस्सा वासी पाडला (कैथल) को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने छठे आरोपी जसबीर उर्फ जस्सू पुत्र वासी अहर थाना इसराना (पानीपत), सातवें आरोपी संजय वासीगंजेड़ी थाना तलहेडी जिला सहारनपुर हाल वासी देवपुरम कॉलोनी (सहारनपुर) व संजय वासी नजदीक शिव मंदिर पानीपत को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी राजेंद्र वासी राधाविहार थाना कोतवाली सहारनपुर (यूपी), 22 जुलाई को अमित वासी कैथल, 23 जुलाई को तरसेम सिंह वासी चीका को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब इस मामले में पुलिस ने पलविंद्र सिंह, कुलविंद्र सिंह, चरण सिंह व सोनू को गिरफ्तार करके आरोपी पलविंद्र सिंह को 3 अगस्त तक, आरोपी कुलविंद्र सिंह को 04 अगस्त तक व अन्य दोनों आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इस मामले में पुलिस अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है तथा मामले की जांच जारी है।

Source: <u>https://www.amarujala.com/haryana/kurukshetra/four-</u> arrested-including-outgoing-councilor-for-selling-kurukshetra-newsknl78541132